सेंटर
फॉर सिविल
सोसाइटी

सामाजिक परिवर्तन और लोक नीति

पार्थ जे शाह

लिबर्टी
एंड सोसायटी
सीरीज
8

लिबर्टी एंड सोसायटी सीरीज

सेंटर फार सिविल सोसायटी छात्रों,प्रोफेसरों,पत्रकारों और एनजीओ लीडरों के लिए देशभर में सेमिनार आयोजित करती है। ये सेमिनार कालेज छात्रों के लिए लिबर्टी और सोसायटी सेमिनार (LSS) के तौर पर शुरू हुए थे जिनका नया नामकरण किया गया है - आई पालिसी। ये चार दिवसीय आवासीय सेमिनार छात्रों को लोकनीति के मुख्य मुद्दों से जोड़ते हैं, उन्हें भारत के लिए नई दृष्टि रचने में शामिल करते हैं जो आखिरकार उन्हें बेहतर नागरिक बनाने में सहायक होता है। ये सेमिनार भागीदारों को उदारवादी नजरिये से बृहत्तर दुनिया दृ समाज,अर्थव्यवस्था और संस्कृति - की बेहतर समझ देते हैं जो सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकार, कानून का शासन, मुक्त व्यापार और प्रतियोगी बाजार पर बल देती है।

कई भागीदारों को इन सेमिनारों में परंपरागत को चुनौती देने और नई खोज की उत्तेजना का जो अनुभव हुआ उसे उन्होंने जीवन का महत्वपूर्ण अनुभव बताया था। नए विचारक और नेता बनाने में लिबर्टी और सोसायटी सेमिनारों और अब आई-पालिसी की सफलता के कारण यह विचार आया कि उनके मुख्य भाषणों को प्रकाशित किया जाए ताकि बाकी लोग भी इस बौद्धिक एडवेंचर में हिस्सा ले सकें। ये भाषण शोधपूर्ण अध्ययनों और अन्य तर्कों का संमिश्रण है और उनकी प्रकृति बौद्धिक विवाद की है। लिबर्टी और सोसायटी श्रृंखला -यह प्रकाशन श्रृंखला इन विचारोत्तेजक भाषणों को ज्यादा बड़े पाठक वर्ग को उपलब्ध कराने की कोशिश है।

यह पुस्तिका फ्रेडरिक- नौमैन- स्टिफटुंग -फर- डी -फ्रेहाइट की भागीदारी में प्रकाशित की जा रही है।

लिबर्टी एंड सोसायटी श्रृंखला की अन्य पुस्तकें

LSS TITLES

1. *Why is India Poor?*
2. *Education Policy: Choice & Competition*
3. *Environment: The Tragedy of the Collective*
4. *Private & Political Markets: Introduction to Public Choice*
5. *Ethics of Liberty*
6. *Courage, Fear & Immigration*
7. *Social Change & Public Policy*

Printed November 2012

ISBN: 987-81-87984-20-7

This publication has been produced in partnership with the Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. The contents of this publication are the responsibility of Centre for Civil Society.

Right to reprint & use is granted with due
acknowledgement to the author and Centre for Civil Society.

सामाजिक परिवर्तन और लोक नीति

*पार्थ जे शाह**

हम सभी सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। मैं आज के अपने भाषण में यह कहना चाहता हूं कि सभी विकल्पों में लोक नीति वास्तविक और टिकाऊ सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी औजार है।

मैं आपको लोक नीति की शक्ति का उदाहरण देता हूं। भारतीय वन अधिनियम बांबू (बांस) को पेड़ के रूप में वर्गीकृत करता है। जो नियम पेड़ पर लागू होते हैं वे बांबू पर लागू होते हैं और वन विभाग उसके उपयोग को नियंत्रित करता है। नतीजतन केवल कुछ रसूखवाले ठेकेदार ही बांबू तक पहुंच बना पाते हैं। यदि उसे घास के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाए– जो कि वैज्ञानिक तौरपर सच भी है, तो वह वन विभाग के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। आदिवासी उसे अपनी जीविका के साधन के रूप में हासिल कर सकेंगे। बांबू के बड़े पैमाने पर उपयोग से पेड़ और लकड़ी की बचत होगी और पर्यावरण का बेहद लाभ होगा।

लोक नीति में यह परिवर्तन लाने के लिए सीसीएस ''बांबू पेड़ नहीं है''[1] अभियान चलाता है। नीति में यह छोटा सा परिवर्तन कर देने से क्या असर पड़ेगा? इससे देशभर के करोड़ों आदिवासियों को मदद मिलेगी जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। इससे लाखों पेड़ भी बचेंगे। यह लोक नीति की शक्ति है।

मैं दो मुख्य बातों के लिए दलील देने की कोशिश करूंगा। एक, हर लगातार बनी हुई और बड़े स्तर की समस्या का कारण लोकनीति होती है। नीति गलत हो सकती है या जहां उसे होना चाहिए वहां नहीं होती यही लगातार बनी हुई और बड़े स्तर की समस्या का कारण होता है। दूसरा, यदि लोक नीति मुख्य कारण है तो समस्या को प्रभावी तरीके से सुलझाने और कल्याण के लिए नीतिगत सुधार बेहतर विकल्प है। सीसीएस का उद्देश्य लोकनीति के जरिये सामाजिक परिवर्तन इन दोनों प्रस्थापनाओं को अचछी तरह व्यक्त करता है।

*इस दस्तावेज को ट्रांसक्राइब और संपादित करने में मदद करने के लिए मेरे सहयोगी एंड्रयू हम्फ्रीज और स्लाइड डेवलप करने के लिए भुवना आनंद का विशेष धन्यवाद।

खंड–1 :लोकनीतिः क्या,कौन,किसके द्वारा ?

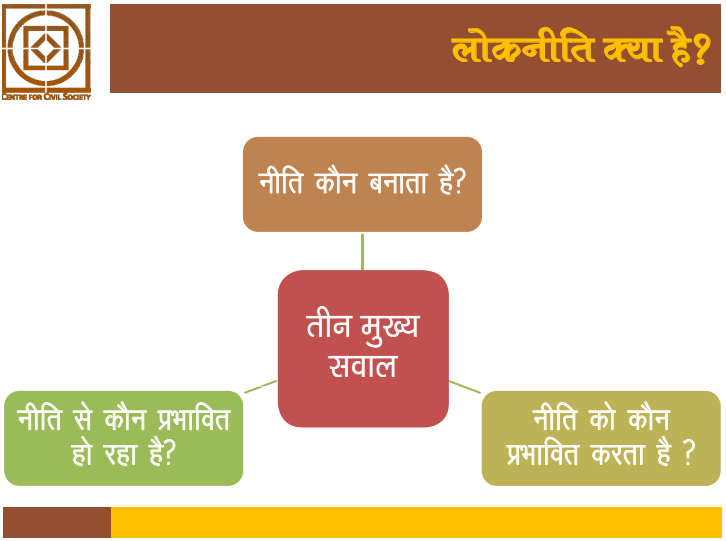

लोक नीति क्या है ? बुनियादी तौर पर लोक नीति वह कानून या नियम है जिसे सरकार के केंद्र, राज्य या स्थानीय किसी भी स्तरपर लागू किया जाता है। हमारी सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध न्यायपालिका भी लोक नीति बनाती है : उदाहरणार्थ, दिल्ली का सारा सार्वजनिक परिवहन सीएनजी से चलना चाहिए यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था।

सरकार किसी क्षेत्र की भवि य की दिशा के बारे में जो वक्तव्य देती हैं उन्हें भी आमतौर पर 'नीति' कहा जाता है। इस अर्थ में नई शिक्षा नीति 1986 या टेलीकाम नीति 1994 'नीति' के उदाहरण हैं। विभिन्न सरकारी स्तरों पर भी कार्यक्रम और योजनाएं बनाई जाती हैं। लोक नीति के बारे में बात करता हूं तो मैं योजनाएं, कार्यक्रम, नियमन, कानून और न्यायिक नीति निर्णयों को शामिल करता हूं।

नीति कौन बनाता है ? उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि लोक नीति सरकार के विभिन्न स्तरों और न्यायपालिका द्वारा बनाई जाती है।

लोक नीति से कौन प्रभावित होता है ? कुछ प्रकार के व्यवहारों को दंडित और कुछ को पुरस्कृत करके नीतियां कार्य की विभिन्न दिशाओं की लागत और लाभों को बदल देती है। नीतियों को रोजमर्रा की जिंदगी के 'खेल के नियम' माना जा सकता है। ये नियम इस बात को प्रभावित करते हैं कि लोग किस तरह अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इस तरह वे हरेक कार्य के मिलेजुले, संपूर्ण और गैरइरादतन नतीजों को प्रभावित करते हैं।

नीतियां मुख्यरूप से उन्हें बनाने और लागू करनेवाली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। आइए, देखते हैं कि कौन सीधे–सीधे नीतियों से प्रभावित होता है। वैसे बता दूं कि, यह स्प ट और सुनिश्चित नहीं होता जैसी कि हम उम्मीद करते हैं।

कौन लोकनीतियों को प्रभावित करता है? यह एक दिलचस्प सवाल है। अक्सर लोगों का पहला जवाब यह होता है कि लोकतंत्र में लोग नीति को प्रभावित करते हैं। आखिरकार सरकार की प्रतिनिधिक व्यवस्था में नीति निर्माता तभी तक सरकार में रह सकते हैं जबतक उनमें मतदाताओं के वोट हासिल करने की क्षमता है। हालांकि नीतियों को कौन प्रभावित करता है इसकी गहरी समझ पैदा करने के लिए हमें सवाल पूछना चाहिए कि किसी नीति के नतीजों से किसके हित जुड़े हुए हैं?

> ज्यादातर नीतियां विशेष समूहों के लिए बनाई जाती हैं वे वास्तव में बडी आबादी के लिए लाभकारी नहीं होती।

नीतियां विभिन्न समूहों के लिए लागत और लाभ पैदा करती हैं। इससे इस समूह के व्यक्तियों को नीति माहौल के अंतिम स्वरूप को प्रभावित करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यह अनुभव करना महत्वपूर्ण है कि प्रोत्साहन कुछ समूहों को दूसरों की तुलना में ज्यादा मिलता है।

एक ही क्षेत्र में व्यापार करनेवाले, यूनियन, नौकरशाह नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए लाबिंग करते हैं। वे राजनीतिज्ञों के सामने अपना पक्ष रखते हैं, अभियानों को पैसा देते हैं, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से इस या उस रूप में रिश्वत देते हैं। वे समूह जिनके लाभ और लागतें बहुत प्रभावित होती हैं और जो आसानी से अपने सदस्यों को संगठित कर सकते हैं उनका नीति पर ज्यादा प्रभाव होता है।[2]

कथित 'विशेष हित समूहों' को आम आदमी की तुलना में यह ज्यादा पता होता है कि किस तरह नीतियां उन्हें प्रभावित करेंगी। नतीजतन, लोकतंत्र में (जहां राजनीतिज्ञों में वोट के लिए प्रतिस्पर्धा होती है) ज्यादातर नीतियां एक समूह विशेष के लिए बनती हैं लेकिन शायद ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होती।[3]

थिंक टैंकों की भूमिका : अपने भौतिक लाभों के लिए नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करनेवाले समूहों के अलावा कुछ नीति या विचार समूह होते हैं जो थिंक टैंक कहलाते हैं। थिंक टैंक एक नीति के बजाय दूसरी नीति की वकालत करते हैं इसलिए नहीं कि उन्हें उससे आर्थिक लाभ मिलता है वरन इसलिए क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि कुछ नीतियां आम लोगों के हितों को बढ़ावा देनें में नैतिक रूप से श्रेष्ठ हैं या प्रभावशाली हैं। सेंटर फॉर सिविल सोसायटी एक ऐसा ही संगठन है।

मेरी यह दलील है कि यदि हम बड़े पैमाने पर टिकाऊ सामाजिक बदलाव लाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि बेहतर लोक नीति का निर्माण करें। यहां मैं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करनेवाले दो तरीकों का वर्णन करूंगा। – एक है सीधी कार्रवाई, समस्या पर सीधे काम करना। दूसरा है नीति कार्रवाई- नीति के द्वारा दूसरों द्वारा समस्या को सुलझाने के लिए किए जा रहे काम को प्रभावित करना। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि खराब नीति को हटाना, वर्तमान नीति में संशोधन करना या जहां कोई नीति न हो वहां कोई नीति बनाना। लेकिन पहले हम यह देखेंगे कि कुछ सामाजिक रहस्यों के मूल कारण क्या हैं।

खंड–2: समान समस्याएं और उनके कारण

कुछ आम समस्याएं

फिल्मों में पूंजी निवेश

बालीवुड निर्माता फिल्मों में पूंजी निवेश के लिए दाऊद इब्राहिम से उधार लेते हैं

क्यों?

फिल्मों में निवेश: बालीवुड और अंडरवर्ल्ड का गठजोड़

मुद्दे

महेश भट्ट जैसे बालीवुड के निर्माता अपनी फिल्मों के लिए पैसा जुटाने के लिए दाउद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड के लोगों से अक्सर मिलते थे। उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ता था? यदि ऐसा बाकी के ज्यादातर उद्योगों में नहीं होता तो फिल्म उद्योग में क्यों होता है?

आम प्रतिक्रिया

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिल्म प्रोजेक्ट कुछ अलग ही तरह के होते हैं। शायद इसलिए भी कि फिल्म निर्माण जोखिम भरा धंधा है और कोई इसमें निवेश नहीं करेगा।

चर्चा

वास्तव में किसी फिल्म में बहुत पैसा लगता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वह सफल हो। उसमें बहुत जोखिम होता है। लेकिन यदि यह जवाब मिलता है, तो क्या हमें यह नहीं देखना चाहिए कि अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान जैसे अन्य देशों में भी ऐसी ही समस्याएं होती होंगी? इसके अलावा यदि फिल्में अच्छा

निवेश नहीं हैं तो अंडरवर्ल्ड के निवेशक उनमें अपना पैसा क्यों लगाना चाहेंगे? यह माना जाना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम उन्हें अपना पैसा इसलिए देता है क्योंकि उसका विश्वास है कि फिल्में पैसा कमाती हैं। अन्य उद्योगों में भी जोखिम है। इन उद्योगों में वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो जोखिमभरे लेकिन लाभकारी हो सकने में सक्षम उद्योगों में पैसा लगाते हैं। मुकेश अंबानी रिफायनरिज खड़ी करने के लिए पैसा जुटाने में सफल है। लेकिन महंगे प्रोजेक्ट लाभदायक साबित होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए 'जोखिम' अपने आप में कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण फिल्म निर्माताओं को अंडरवर्ल्ड की ओर देखना पड़ता हो। विशेषकर तब जब हम अंडरवर्ल्ड के वसूली के तरीकों पर गौर करते हैं। क्यों कोई वैध पूंजी को हासिल करने के बजाय अपनी जान जोखिम में डालना चाहेगा?

नीति नजरिया

क्या होता है जब फिल्म उद्योग की समस्याओं के कारण उसके विशिष्ट पहलू में खोजने के बजाय हम सरकार की नीतियों पर गौर करें जो उद्योग को नियंत्रित करती हैं ?

हमें यह उत्तर मिलता है। कई वर्षों तक फिल्म उद्योग कानूनी रूप से 'मान्यता प्राप्त उद्योग' नहीं था। 1951 के इंडस्ट्रीज एक्ट आफ इंडिया में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी उद्योगों की सूची है और केवल इसमें शामिल उद्योग ही औपचारिक औद्योगिक संस्थाओं से पैसा ले सकते हैं। दुर्भाग्यवश बालीवुड इस सूची में नहीं था। परिणामस्वरूप फिल्म निर्माताओं को सरकारी नीति के कारण फिल्म न बनाने का या फिर खतरनाक अंडरवर्ल्ड निर्माताओं की शरण में जाने का फैसला करना पड़ता था। बालीवुड को सन् 2001 में अधिकृत तौर पर उद्योग का दर्जा दिया गया। अब फिल्म उद्योग मान्यताप्राप्त है और औपचारिक संस्थाओं से पैसा लेने की भी उसे कानूनी अनुमति है। नतीजतन पिछले कुछ वर्षों से बालीवुड और अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ की खबरें अब नहीं आतीं।

> वे समस्याएं जिनका वैसे नीति से कोई संबंध नजर नहीं आता अक्सर उनका मूलभूत कारण सरकारी नीति होती है।

यह सरल समाधान था। जबतक यह सब चल रहा था तब हमेशा इस तरह की सामाजिक टिप्पणियां आती रहती थी कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जो इसे अंडरवर्ल्ड से जोड़ता है? लेकिन इन सामग्रियों में समस्या और इंडस्ट्री एक्ट के संबंध का उल्लेख नहीं होता था। मैं यह बताना चाहता हूं कि वे समस्याएं जिनका आमतौर पर नीति से कोई संबंध नजर नहीं आता अक्सर उनका मूलभूत कारण सरकारी नीति होती है।

कुछ आम समस्याएं

स्कूल/कॉलेज में दाखिला

- दाखिले के लिए लंबी कतार
- डोनेशन और कैपिटेशन फीस
- अभिभावकों और बच्चों के इंटरव्यू

क्यों?

स्कूल एडमिशन – अच्छे स्कूल इतने कम क्यों हैं?

मुद्दा

मुझे पक्का पता है कि आपने अपने शहर में यह सब देखा होगा। मैंने दिल्ली में हर साल यह देखा है – स्कूलों में एडमिशन के लिए लंबी कतारें, स्कूलों में एडमिशन के लिए अभिभावक मोटी फीस, रिश्वत या 'डोनेशन' देते हैं। मैंने देखा है कि पिछले दस वर्षों से यह सब हो रहा है। खबरों और रपटों में स्कूलों द्वारा अभिभावकों से लाभ उठाने की निंदा की जाती है, उनपर वसूली का आरोप लगाया जाता है। फिर हर साल वही लंबी लाईनें और वैसी ही परेशानी होती है। यह केवल एक या दो वर्षों से नहीं हो रहा वरन् साल दर साल हो रहा है।

लगातार लंबी लाईनों का बना रहना अभाव का प्रतीक है – बाजार में जितनी संख्या में अच्छे स्कूलों की मांग है उसकी तुलना में अच्छे स्कूलों की आपूर्ति कम है। हम यह उम्मीद करेंगे कि ये लंबी लाईनें और ऊंचे दाम संभावित आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति बढ़ाने के लिए कुछ समय में बाजार में प्रवेश करने को प्रेरित करेगा और इससे अभिभावकों को आकर्षित करने के लिए दाम घटेंगे। बुनियादी तौर पर अन्य सभी उद्योगों में यही होता है। इलेक्ट्रानिक, रेस्टोरेंट, कपड़ा उद्योग आदि में हम यही होते हुए देखते हैं। लेकिन स्कूलों का अभाव बुनियादी तौर पर अंतहीन है इसलिए हमें स्वयं से पूछना चाहिए, ऐसा क्यों?

सामान्य प्रतिक्रियाः

इलेक्ट्रानिक्स और रेस्टोरेंट से शिक्षा अलग है, आप वास्तव में उनकी तुलना नहीं कर सकते। यह स्कूलों की संख्या का मुद्दा नहीं है। अभिभावक केवल इतना चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे, प्रतिष्ठित स्कूलों में जाएं।

चर्चा

हर उद्योग दूसरे उद्योग से अलग होता है। हरेक की विशिष्ट खूबियां होती हैं और उसकी विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। परंतु मांग और आपूर्ति के सिद्धांत उन सभी के लिए समान हैं।

हर उद्योग दूसरे उद्योग से अलग होता है। हरेक की विशिष्ट खूबियां होती हैं और उसकी विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। परंतु मांग और आपूर्ति के सिद्धांत उन सभी के लिए समान हैं।

क्या अच्छी प्रतिष्ठा सभी उद्योगों में वांछित नहीं है? जरा मेडिसिन, होटल और रेस्तराओं के बारे में सोचिए। उन सभी को अच्छी प्रतिष्ठा की जरूरत होती है। लेकिन इन उद्योगों में अच्छी प्रतिष्ठा लगातार अभाव का कारण नहीं बनती। अन्य उद्योगों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्थापित उद्योग अपना विस्तार करते हैं और नए संगठन बाजार में प्रवेश करते हैं। ऐसे नए उद्योगों को उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए जोखिमों का सामना करना पड़ता है, विज्ञापन करना पड़ता है और नई प्रतिष्ठा बनानी होती है। क्यों नहीं जिन स्कूलों की प्रतिष्ठा है वे अपने ब्रांड का विस्तार करते और क्यों नहीं मांग को पूरा करने के लिए और स्कूल शुरू होते?

सामान्य प्रतिक्रिया जारी

क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहां अच्छे शिक्षकों का अभाव है? यदि आपके पास उस सेवा का ही अभाव हो जिसकी आप आपूर्ति करनेवाले हैं तो आप बाजार में नहीं उतर सकते ।

चर्चा जारी

उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं अथवा सेवाओं की मांग बढ़ने पर उत्पादकों द्वारा भी उन वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की मांग बढ़ जाती है।

उदाहरणार्थ, नए स्कूल खोलने की मांग और अधिक शिक्षकों की जरूरत पैदा करती है। बाजार का यही चलन होता है भले उसे मूर्त रूप लेने में वक्त लगे। अर्थात, स्कूल खोलने की मांग को पूरा करने में भी पर्याप्त समय लगने की संभावना होती है। लेकिन क्या कारण है कि, पिछले एक दशक से भी अधिक समय से शिक्षा उद्यमियों ने

प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या और वेतन वृद्धि नहीं की? जबकि अच्छे शिक्षकों की आपूर्ति बढ़ाकर वे फार्म भरकर और पैसे हाथ में लिए घंटों लाइनों में गुजारते अभिभावकों के सामने प्रतियोगी विकल्प पेशकर मुनाफा कमा सकते हैं।

नीति दृष्टिकोण

एक बार फिर बताऊं कि, जब उद्योग से ही जुड़ी किसी बात से समस्या पैदा होती है तब उसे खोजने के बजाय हम लोक नीति को मूल कारण मानने लगते हैं तब क्या होता है ?

कई बार स्थितियों के अनुकूल नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। उदाहरणार्थ, हम देखते हैं कि दिल्ली में नया स्कूल खोलने के लिए 15 अलग-अलग लाइसेंसों की आवश्यकता होती है जो कि रिफाइनरी खोलने के लिए लगनेवाले लाइसेंसों की संख्या से ज्यादा हैं। वैसे, रिफाइनरी खोलना स्कूल खोलने से ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होता है।[4]

नतीजा क्या होता है? जो लोग नए स्कूल खोलना चाहते हैं वे पाते हैं कि अंदर के लोगों से सांठगांठ के बगैर नए स्कूल खोलने का काम बहुत खर्चीला या असंभव है। यही कारण है कि कई स्कूल और कालेज उन लोगों द्वारा खोले गए हैं जो शिक्षा के बारे में बहुत कम या कुछ नहीं जानते। मसलन, हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीतिज्ञ कई कालेजों के मालिक हैं। दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के बारे में चिंता करते हैं लेकिन उनके सरकार में कोई संपर्क नहीं हैं इसलिए उनके लिए औपचारिक स्कूल खोलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह कि, कानून के मुताबिक स्कूलों को गैर लाभकारी होना चाहिए। इसका मतलब है कि जिनके पास पहले से अपनी पूंजी नहीं है उनके लिए यह और मुश्किल हो जाएगा। यदि स्कूल लाभ के लिए चलाए जा सकें तो नए लोगों के लिए पूंजीपतियों (वेंटर कैपिटलिस्ट) से पैसा पाना आसान होगा। हम देखते हैं कि अन्य व्यवसायों की तुलना में स्कूली शिक्षा में पूंजी निवेश (वेंचर कैपिटल) कम है।

लाइसेंस राज में उनके द्वारा स्कूल नहीं चलाए जाते जो सबसे बेहतर सेवा दे सकते हैं वरन उनके द्वारा चलाए जाते हैं जिनके पास अच्छे संपर्क और काफी पूंजी है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे यहां स्कूलो का अभाव है!

कुछ आम समस्याएं

रेहड़ी पटरी वाले

15 वर्षों से एक ही स्थान पर उतनी ही मात्रा में सामान (निवेश) लेकर बैठ रहे हैं

Street Vendor (Mysore India)

क्यों?

अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमी: उन्हें कौन गरीब रखता है?

मुद्दे

आप अपने आसपास रेहड़ीवालों को देखते हैं। यह हो सकता है कि आप और आपका परिवार पिछले 20 वर्षों से उसी स्थान पर बैठी उसी महिला से अपना सामान खरीदते रहे हों। इस दौरान उसके व्यवसाय में कुछ नहीं बदला।

वह भी तो एक व्यवसायी है। बात सही है न? बहुत से लोग उसके बारे में इसतरह से नहीं सोचते लेकिन वह बात वैसी ही है। वह उद्यमी है जिसने अपने खुद का व्यवसाय शुरू किया। धीरूभाई अंबानी कंगाल से करोड़पति बन गए। उन्होंने बहुत थोड़े से शुरुआत की, घर-घर जाकर साबुन बेचकर रिलायंस जैसा ब्रांड स्थापित किया। फिर क्यों ये रेहड़ीवाले और अन्य लोग अपने व्यवसाय का थोड़ा सा भी विस्तार नहीं कर पाते?

आप को क्या लगता है? क्या ये रेहड़ीवाले स्वाभाविक रूप से अयोग्य होते हैं? क्या उन्हें पता नहीं होता कि उस व्यवसाय को कैसे बढ़ाएं जो उन्होंने 20 वर्ष पहले शुरू किया था?

आम प्रतिक्रिया

हो सकता है उनकी इतनी आय न होती हो जिससे वे बचत करके अपने उद्योग में निवेश कर सकें।

चर्चा

इन लोगों की आय 20 सालों तक या उससे अधिक समय के लिए अपना व्यवसाय जारी रखने लायक होती है। वे चाहें तो बचत कर सकते हैं। या परिवार या मित्रों से उधार लेकर धीरे-धीरे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं लेकिन वे नहीं करते। ऐसा क्यों?

एक बार फिर यही बात दोहराना चाहता हूं कि क्या इन रेहड़ीवालों में स्वाभाविक तौर पर कोई ऐसी बात है जिसके कारण वे एक ही स्थिति में बने रहते हैं? या कोई और है इसके पीछे? कोई जो नीतियां बनाता है जो उनकी जिंदगी को प्रभावित करता हो? अबतक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खराब नीति की वजह से यह समस्या बनी हुई है।

मैं जानता हूं कि आपने अपनी आंखों के सामने नीति को प्रगट रूप में देखा होगा। मैंने इसे दिल्ली में अक्सर देखा है। जब बाजार में दर्जनों रेहड़ीवाले अपना सामान बेच रहे होते हैं तभी अचानक नगर निगम के अफसर पुलिस के साथ आ धमकते हैं। सभी रेहड़ीवाले जितनी जल्दी हो सके अपना सामान समेट कर भागते हैं। यदि ऐसा करने में उन्हें थोड़ी भी देर होती है तो पुलिस उनको पकड़ लेती है और उनके सामान को जब्त कर लेती है। इसे सरकारी भाषा में सफाई अभियान कहा जाता है। एक घंटे बाद पुलिस की गाड़ी चली जाती है और रेहड़ीवाले फिर बाजार में आ जाते हैं। और अगले सफाई अभियान तक जिंदगी चलती रहती है।

> समावेशी विकास के लिए समावेशी सुधार होना आवश्यक है।

इसका क्या मतलब है? अगर आप इस बारे में सोचें कि यदि रेहड़ीवालों का सामान हाथ की पहुंच से ज्यादा हो तो अगली बार जब पुलिस आएगी तो वह अपना थोड़ा सामान समेट पाएगा और बाकी सामान को पुलिस ले जाएगी। उसके पास जितना ज्यादा सामान होगा उतना ज्यादा पुलिस उठाकर ले जाएगी। इसलिए व्यापार बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। व्यापार का आकार हाथ की पहुंच से बाहर का नहीं होना चाहिए। यदि उसका व्यापार 20 साल तक उसी तरह छोटा रहा तो उसकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है? कुछ रेहड़ीवालों ने हमें बताया कि वे सार्वजनिक जगह के इस्तेमाल के लिए 'किराए' के तौर पर पुलिसवालों को रिश्वत देने को तैयार हैं। समस्या यह है कि वे रिश्वत के तौर पर बहुत बड़ी रकम अदा कर दें तो भी उन्हें व्यापार करने के लिए पक्के आधिकार नहीं मिलते हैं। वे गैर कानूनी और अनधिकृत ही रहते हैं। वे असुरक्षा और सामान खोने के खतरे के बीच काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कौशल या गरीबी से निकलने की दृष्टि नहीं है लेकिन नीतिगत माहौल उसके खिलाफ होता है।

इसलिए रेहड़ीवालों के लिए यह बेहतर है कि वे रिश्वत देने के बजाय अधिकृत रूप से किराया दें। उससे उन्हें पुलिस के जुल्म से मुक्ति मिलेगी और वे कानूनी रूप से अपना व्यवसाय कर सकेंगे।

हम बार-बार जोर देकर कहते रहे हैं -हालांकि हमने औपचारिक उद्योगों पर से लाइसेंस राज का बोझ हटा दिया है लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र अब भी इसका शिकार है। इसकारण असमान और विषमतापूर्ण विकास हो रहा है। समावेशी विकास के लिए समावेशी सुधार होना आवश्यक है।

इसलिए यदि आप लोक नीति के बारे में सोचते हैं तो आप यह देखने लगेंगे कि नीतिगत माहौल ही आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का मूल कारण है।

खंड 3: सीधी कार्रवाई बनाम नीति कार्रवाई

मेधा पाटकर और 'विस्थापित'

मेधा पाटकर बडी विकास परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती रही हैं। बांध, राजमार्ग, कारखाने और विशेष आर्थिक क्षेत्र[5] के जैसी विशाल परियोजनाओं से लोगों की जीविका तबाह हो गई है और उन्हें जबरन विस्थापित किया जा रहा है। पाटकर भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों के द्वारा उनको मुआवजा और पुनर्वास दिलाने के लिए कोशिश करती रही हैं। वे विशिष्ट समस्याओं पर सीधे काम कर रहीं हैं। वे नर्मदा बांध के शिकार बने लोगों के लिए संघर्ष करते हुए 20 साल से ज्यादा समय बीता चुकी हैं।

लेकिन वह एक ही समय कितनी जगहों पर हो सकती हैं? इस तरह की परियोजनाएं और समस्याएं देश में हर जगह हैं। एक साथ वह दो जगहों पर नहीं हो सकतीं। उनका काम एक व्यक्ति के रूप में उनकी सीमा से सीमित हो जाता है।

लेकिन वह एक ही समय कितनी जगहों पर हो सकती हैं? इस तरह की परियोजनाएं और समस्याएं देश में हर जगह हैं। एक साथ वह दो जगहों पर नहीं हो सकतीं। उनका काम एक व्यक्ति के रूप में उनकी सीमा से सीमित हो जाता है।

अरुणा राय और सार्वजनिक कार्यों में भ्रष्टाचार

एक और सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं – अरुणा राय। उन्होंने राजस्थान के लोक निर्माण परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का समाधान करने की कोशिश की। यह बात आम थी कि मस्टर रोल (हाजिरी रजिस्टर) पर लोगों का नाम होता था और उनको भुगतान भी होता था जबकि वे परियोजना पर काम नहीं कर रहे होते थे। पहले राय और उनके संगठन एमकेएसएस ने सरकार से मस्टर रोल की प्रतियां हासिल करने की कोशिश की।[6] फिर वे सार्वजनिक कार्यों की साइट पर जाते ताकि वहां असल में देखकर उसकी पड़ताल की जाए और भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए।

राय जानती थीं कि यह केवल राजस्थान में ही नहीं हो रहा। किसी व्यापक समस्या का समाधान करने के लिए आमतौर पर एनजीओ क्या करते हैं? वे आमतौर पर विभिन्न स्थानों के ज्यादा से ज्यादा दफ्तरों और कार्यकर्त्ताओं से कहेंगे कि सीधी कार्रवाई करके मस्टर रोल पाने के लिए संघर्ष करें।

> अरुणा राय नीति कार्रवाई की मिसाल है जबकि पाठकर सीधी कार्रवाई की।

राय ने अनुभव किया कि यह व्यवस्था की समस्या है। इसलिए हर समस्या को, लोगों को संगठित करके खुद हल करने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने सूचना का अधिकार कानून पास कराने के लिए काम किया। कह सकते हैं कि उनकी कोशिशों के कारण एक तरह से हरेक को –भावी एमकेएसएस– का कार्यकर्त्ता बना दिया। इससे न केवल मस्टर रोल की समस्या का समाधान हुआ वरन एक ऐसा कानून बना जिसने देशभर में हर तरह के भ्रष्टाचार के बारे में सवाल पूछने के मामले में हर नागरिक का सशक्तिकरण किया।

उन्होंने एक विकेंद्रीकृत प्रक्रिया और समस्या सुलझानेवालों का नेटवर्क बनाया और इस तरह से एक व्यक्ति के तौर पर अपनी सीमा को अतिक्रांत किया। उन्होंने एक ऐसी नीति के लिए काम किया जिसने लोगों को अपनी समस्याएं खुद सुलझाने का अवसर दिया। इसके बाद वे अब खाद्य सुरक्षा जैसे अन्य मुद्दों की तरफ बढ़ने को स्वतंत्र हैं।

अरुणा राय नीतिगत कार्रवाई की मिसाल है जबकि पाटकर सीधी कार्रवाई की।

अलग तरह की कार्रवाई का प्रभाव

आप उस कहावत को जानते होंगे – किसी आदमी को मछली देते हैं तो एक दिन का खाना देते हैं, उसे मछली पकड़ना सिखाते हैं तो जिंदगी भर उसका पेट भरेगा। यह कहावत हमें बताती है कि सीधी कार्रवाई के बजाय नीति कार्रवाई बेहतर है। किसी को मछली पकड़ना सिखाना कम सीधी कार्रवाई है लेकिन उसका प्रभाव अधिक और दीर्घकालिक होता है। यदि हम इस शाब्दिक अनुरूपता को थोड़ा और आगे ले जाएं तो हम इस दलील को एक कदम आगे ले जा सकते हैं। लोग 'मछली पकड़ने का काम' करें इसके लिए जरूरी है कि मछली पकड़ना जीविका चलाने का कारगर साधन हो।[7] इसके लिए नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है। यदि खराब नीति के कारण मछली पकड़ना जीविका का कारगर साधन नहीं है तो लोगों को यह सिखाने का क्या लाभ कि मछली कैसे पकड़ें? यहां हम जो मछली पकड़ने की बात कह रहे हैं वह जीविका के सभी साधनों पर लागू होती है।

नीति कार्रवाई का मतलब है जिन नियमों के तहत सभी क्रियाएं और अंतर्क्रियाएं घटित होती हैं उनमें सुधार करना। यदि मछली पकड़ने को जीविका का कारगर साधन बनाए रखने के लिए नीतिगत कार्रवाई नहीं की गई तो मछली देना मुश्किल और मछली पकड़ना सिखाना निरर्थक हो जाएगा।

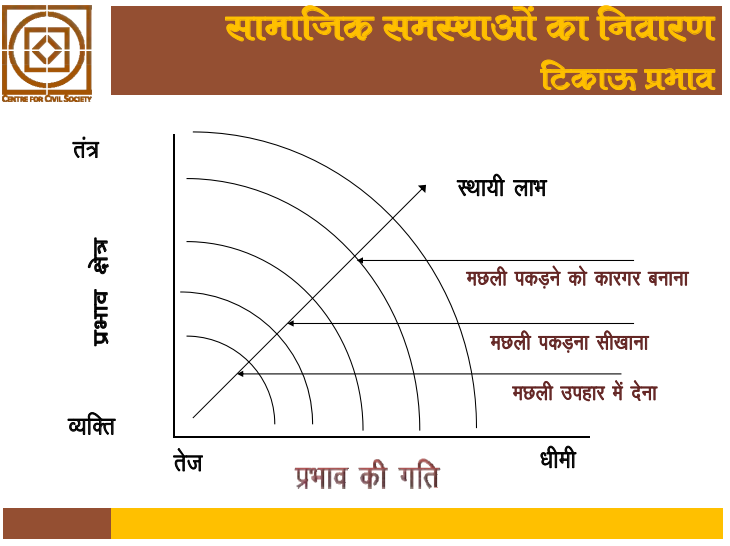

अच्छी लोक नीति का टिकाऊ प्रभाव

सीधी कार्रवाई (मछली देना) अप्रत्यक्ष कार्रवाई (मछली पकड़ना सिखाना) और नीतिगत कार्रवाई (मछली पकड़ना जीविका का कारगर साधन बनाना) के प्रभाव क्षेत्र और गति अलग-अलग हो सकती है।

आप देख सकते हैं कि अप्रत्यक्ष और नीति कार्रवाई ज्यादा समय तो लेते हैं लेकिन ज्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं। सीधी कार्रवाई कम लोगों को प्रभावित करती है लेकिन उसका प्रभाव तेजी से होता है। लोगों को मछली देने का प्रभाव सीधा और तुरंत होता है।

मछली पकडना सिखाना ज्यादा समय लेता है लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा व्यापक होता है। तो, मछली पकड़ने को जीविका का कारगर साधन बनाने में और भी ज्यादा समय लगता है और उसका और भी ज्यादा प्रभाव होता है।

कई मामलों में तुलना करने से स्पष्ट होता है कि प्रभावी नीति कार्रवाई सीधी कार्रवाई की तुलना में अक्सर बेहतर होती है।

मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि सीधी कार्रवाई गैर महत्वपूर्ण है। मानवीय दुखों या प्राकृतिक आपदाओं जैसे कई मामले होते हैं जिनमें सीधी कार्रवाई की जरूरत होती हैं। सीधी कार्रवाई और जमीनी स्तर पर काम करने से समस्या को बेहतर ढंग से समझने और उसके नीतिगत समाधान सुझाने में हमें मदद मिलती है। यह नई नीति के प्रभावी अमल को भी सुनिश्चित करता है।

वास्तव में सीधी कार्रवाई और नीति कार्रवाई एक दूसरे के पूरक हैं। मेरी दलील है कि दीर्घकालिक दृष्टि से हम जब तक नीति पर ध्यान नहीं देते तब तक सीधी कार्रवाई केवल लक्षणों का ही इलाज करने में मदद करेगी। समस्या के कारणों को दूर करने का काम नहीं कर पाएगी।

अभ्यास 1 – इस बिंदु पर उन लोक नीतियों के बारे में सोचें जिनके बारे में आप जानते हैं। और स्लाइड में दी गई श्रेणियों में से हर एक का एक उदाहरण लीजिए।

अब यह सूची बनाने के बाद अपने आप से पुछिए : मैं इन नीतियों के बारे में क्या करना चाहता हूं?

अभ्यास 1 नोट्स

खंड 4: अच्छी लोक नीति की राजनीति और सिद्धांत

अच्छी लोक नीति के शक्ति और महत्व को समझने के बाद हमें नीतियों के मूल्यांकन के लिए गाइड की जरूरत है। नीति के मूल्यांकन के बारे में मैं जिन दो प्रमुख विचारों पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं वे हैं नीति परिवर्तन की राजनीति और अच्छी लोक नीति के सिद्धांत।

नीति की राजनीति

नीति की राजनीति के द्वारा विभिन्न समूहो पर प्रभाव के संतुलन से एक नीति में बदलाव को परिभाषित किया जा सकता है कि कौन जीता कौन हारा। हो सकता है दीर्घकाल में नीति समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाए। लेकिन लघुकाल में कुछ समूहों पर अनुकूल और कुछ समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

नीति की राजनीति के बारे में जब सोचते है तो हितधारकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण होता है। सभी प्रभावित पक्षों की पहचान करने के बाद हम देख सकेंगे कौन विजेता है और कौन पराजित। इस प्रक्रिया में एक सहायक साधन है जिसका पत्रकार अक्सर इस्तेमाल करते हैं – पैसे का अनुगमन करो। सोचो किस तरह नीति में परिवर्तन से उससे जुड़े विभिन्न समूहों की आमदनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या बदलाव आया है।

जब हम अच्छी लोक नीति की चर्चा कर रहे हैं तो हम देखेंगे कुछ उदाहरण जो नीति परिवर्तन की राजनीति को स्पष्ट करने में सहायक होंगे।

अच्छी लोक नीति के सिद्धांत[8]

हम अच्छी लोक नीति को कैसे विकसित कर सकते हैं? ध्यान में रखनेवाली पहली बात है कि कोई नुकसान न हो। किसी समस्या को सुलझाने हेतु कोई नई नीति बनाने की कोशिश करने से पहले यह शोध करना जरूरी होता है कि लागू की गई किन नीतियों की वजह से समस्याएं पैदा हुई हैं। जब नीति और समस्या में संबंध स्पष्ट हो जाए तो नीति को बदला या हटाया जाना चाहिए। जब हम एक मुक्त, खुला और ऐसा समाज बनाने की सोचते हैं जिसमें समृद्धि व्यापक रूप से बंटी हुई हो तो आप नीतियों के मूल्यांकन के लिए कुछ सामान्य मापदंड अपना सकते हैं। नीतियां जो निरंतर समस्याओं को पैदा करती हैं, जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है और जो समाज के उदारवादी ढांचे की अवहेलना करती हैं। ये मापदंड हैं व्यक्तिगत अधिकार, स्पष्ट और विकेंद्रीत मालकियत और संसाधनों की जिम्मेदारी, कानून का शासन, विनिमय की स्वतंत्रता, सहनशीलता और सीमित सरकार।[9]

मैंने आप लोगों के लिए नीतियां बनाने या उनका मूल्यांकन करते समय सोचने के लिए दस सिद्धांत संग्रहित किए हैं।

अच्छी लोकनीति
10 सिध्दांत

1 एक अच्छी नीति में सरकार केवल वही करती है जो लोग और उनके संगठन अपने लिए नहीं कर सकते

> एक सरकार जो इतनी बड़ी होती है जो आपको हर वह चीज दे सके जो आप चाहते हैं तो वह उतनी बड़ी भी होती है जो आपसे हर वह चीज ले सकती है जो आपके पास है।

यह स्वतंत्र और मुक्त समाज का पहला सिद्धांत है। लोगों को वह काम करने दिया जाए जो वे अपने लिए कर सकते हैं। जब लोग अपनी और दूसरों की देखभाल कर सकते हैं तब उनसे ऐसा करने की आजादी और जिम्मेदारी का हरण करना बुद्धि मत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता।

सरकार केवल वे काम करें जो सामान्य कल्याण के लिए जरूरी हैं और जो इतने कठिन हैं कि बाजार और स्वयंसेवी संगठनों के जरिये उनका समन्वय नहीं किया जा सकता। समाज को हर चीज के लिए नीति की ज़रूरत नहीं है। उदाहरणार्थ – हम चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के प्रति विनम्र रहें लेकिन हम नहीं चाहते कि सरकार इसके बारे में विस्तृत नियम बनाएं कि हम इस बारे में कैसे व्यवहार करें और असभ्यता के लिए दंड निर्धारित करे।

इस स्लाइड के चित्र को देखें। हम इस उदाहरण से देखते हैं कि दानधर्म और उद्यमिता आमतौर पर स्वयंसेवी सिविल सोसायटी द्वारा उपलब्ध कराए जा सकते हैं। लेकिन हम शायद नहीं चाहेंगे कि पुलिस का बुनियादी काम निजी उद्योगों को सौंपा जाए। इसलिए यह सही होगा कि सरकार पुलिस का गठन करे।[10]

*दस सिद्धांतों के साथ मैंने लॉरेंस रीड, हेनरी हेजलीट, मिल्टन फ्रीडमैन और आयन रैंड के स्मरणीय सुभाषितों को मैंने शामिल किया है जिनके बारे में मुझे लगता है कि वे हर सिद्धांत के मुख्य मुद्दे को बखूबी व्यक्त करते हैं।

अच्छी लोकनीति

10 सिद्धांत

2

एक सरकार जो इतनी बड़ी होती है जो आपको हर वह चीज दे सके जो आप चाहते हैं, तो वह उतनी बड़ी भी होती है जो आपसे हर वह चीज ले सकती है जो आपके पास है.

यह बात काफी स्पष्ट है। लेकिन नीति निर्माता और सामान्य लोग इस तरह सोचने को नजरंदाज करते हैं। नीतियां अक्सर एक समूह विशेष की सहायता करने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन दूसरे समूहों को इससे नुकसान होता है। क्योंकि इस अदृश्य समूह पर प्रभाव तुरंत और स्पष्ट नहीं होते। लंबी अवधि पर गौर करने पर जिनको हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं उन्हें भी नुक्सान पहुंचता है। एफ. ए. हायेक इसे नीति का विकृत प्रभाव कहते हैं जिसमें जिन्हें लाभ पहुंचाना है उनका अक्सर नुकसान होता है।

इसे'गैरइरादतन नतीजों का नियम' कहा जाता है। नीति का मूल्यांकन करते समय यह जरूरी है कि सभी समूहों पर उनके परिणामों को देखा जाए।[11]

> एक बुरा अर्थशास्त्री केवल वह देखता है जो तुरंत उसकी आंखों को दिखाई पड़ता है। अच्छा अर्थशास्त्री उसके आगे भी देखता है।

ऊपर दी गई स्लाइड में दिए गए कार्यक्रम कम समय में छोटे से समूह को लाभ पहुंचानेवाली नीतियों के उदाहरण हैं। लेकिन वे दीर्घकालिक परिणामों को देखने में नाकाम रहे हैं। हर कार्यक्रम बाजार को ठेस पहुंचाता है, उत्पादकता को घटाता है। पूंजी को कमतर करता है जो दीर्घकाल में जीवन जीने को महंगा करता है और रोजगारों को कम करता है।

हम व्यापार पर लगी पाबंदियों को लें (स्लाइड के बीचवाली फोटो)। कई लोग देसी उत्पादनों को विदेशी उत्पादों के साथ प्रतियोगिता से दूर रखने के लिए सीमाशुल्क और या विनिमय नियंत्रणों का सुझाव देते हैं। स्थापित उद्योगों और उनके कर्मचारियों के संदर्भ से सोचें तो यह समृद्धि पैदा करने का स्वीकार्य तरीका लगता है। लेकिन वे यह नहीं सोचते कि जो निर्माता और उपभोक्ता इन उत्पादों का उपयोग करते हैं उन्हें इन उत्पादों

की ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। या वे यह नहीं सोचते कि संरक्षित निर्माताओं को ग्राहकों के मुताबिक उत्पाद बनाने और उसमें किसी भी तरह के नवीनीकरण के लिए कम प्रोत्साहन होगा। न ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि इससे भारतीय निर्माताओं का व्यापार कम होगा क्योंकि विदेशी अगर भारत को कम बेच पाएंगे वे भारत से कम ही खरीद पाएंगे। भारत ने इस तरह की व्यापार पाबंदियों के कारण कई वर्षों तक गतिरोध को झेला है।1991में हमें खुलेपन के लाभ देखने को मिले।

CENTRE FOR CIVIL SOCIETY

अच्छी लोकनीति

10 सिध्दांत

3

एक अच्छी लोकनीति बढ़ाता है:

- चुनाव
- प्रतियोगिता
- आजादी

सिविल सोसायटी का अर्थ है आपसी लाभ के लिए सहयोग करना - जिसके साथ चाहें उसके साथ जुड़ने की स्वतंत्रता, विचार, उत्पाद और सेवाओं के बाजार में एक दूसरे को विकल्प मुहैया कराने की स्वतंत्रता। स्वतंत्र उपभोक्ता यह चुन सकते हैं कि कौन उन्हें सेवाएं दे और स्वतंत्र निर्माताओं को स्थापित निर्माताओं के साथ प्रतियोगिता करनी होगी।

> स्वतंत्र लोग समान नहीं होते और समान लोग स्वतंत्र नहीं होते।

1991 के सुधारों ने ज्यादातर औपचारिक क्षेत्र से लाईसेंस राज हटा दिया। उदाहरणार्थ हमने टेलीकाम और एअर लाइंस जैसे कई क्षेत्रों में सुधार के लाभ देखे। लोगों के सामने कई विकल्प उपलब्ध हैं, बेहतर दाम पर उपलब्ध हैं, कंपनियां ग्राहकों के प्रति ज्यादा जवाबदेह और उनकी जरूरतों के प्रति अधिक सजग हैं। उद्यमी भी जब उद्यम शुरू करते हैं तो उन पर कम बोझ होता है।

वर्ष 1991 के सुधारों का मतलब है रिलायंस उद्योग के मुकेश अंबानी को रिफायनरी शुरू करने के लिए लायसेंस की जरूरत नहीं हो सकती लेकिन रेहड़ीवालों को अब भी नगर निगम से लाइसेंस की जरूरत होगी। अनौपचारिक क्षेत्र आज भी लाइसेंस राज को झेल रहा है।

अच्छी लोकनीति
10 सिध्दांत

4 **एक अच्छी नीति उन परिणामों पर केंद्रीत करती है जिनको नापा जा सकता है ना कि केवल निवेश और अच्छे इरादों पर.**

इरादों और वास्तविक परिणामों के बीच के फर्क को जानना जरूरी है। अच्छी नीति के लिए अच्छे इरादे ही काफी नहीं होते। उदाहरणार्थ शिक्षा के अधिकार का कानून भले इरादों से प्रेरित है। बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लक्ष्य पर कौन सवाल उठाएगा? दिमाग में यह इरादा रखते हुए आरटीई के कुछ हिस्से के अनुसार स्कूलों को शिक्षा के अधिकार में बुनियादी ढांचे से संबंधित कई प्रकार के सुधार करने होंगे जिनमें लाइब्रेरी से लेकर टायलेट और खेल का मैदान भी शामिल है। लेकिन हमें इन शर्तों के नतीजों को भी देखना चाहिए। इन शर्तों के कारण कई स्कूल बंद हो जाएंगे जो इन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे।

> नर्क का रास्ता अच्छे इरादों से भरा हुआ है।

हो सकता है कि स्कूलों के बंद होने से आप पर कोई फर्क न पड़े लेकिन आप उन परिवारों को लेकर तो चिंतित होंगे ही जिन्हें ये स्कूल सेवा मुहैया कराते हैं। गरीब अभिभावक अपने बच्चों को इन सस्ते प्राइवेट स्कूलों में भेजना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यही विकल्प उन्हें अनुकूल लगता है। अभिभावक इस बात का ध्यान रखते हैं कि वहां पढ़ाई कैसी होती है जबकि शिक्षा के अधिकार का ध्यान केवल व्यवस्था में इस्तेमाल किए गए साधनों पर ही केंद्रित रहता है। उसका यह नजरिया गरीब अभिभावकों की स्वतंत्रता, चुनाव और शिक्षा तक पहुंच को कम करता है।

अच्छी लोकनीति

10 सिध्दांत

5

अच्छी लोक नीति फ्रीडमन के खर्च के नियमों के श्रेणीक्रम में ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहन पर आधारित होती है :

–अपना पैसा अपने पर खर्च करना

–अपना पैसा किसी और पर खर्च करना

–किसी और का पैसा अपने पर खर्च करना

–किसी और का पैसा किसी और पर खर्च करना

पैसा खर्च करने के चार तरीके हैं जैसा इस स्लाइड में दिखाया गया है। इन्हें कार्यक्षमता और प्रभाव इन दो कसौटियों पर कसते हुए उनकी तुलना कीजिए ताकि पता चल सके इस तरह का खर्च लाभान्वित होनेवालों को कितना लाभ पहुंचाता है। हम जो ज्यादातर खर्च करते हैं वह पहली श्रेणी में आता है। जब हम कपड़े और अनाज खरीदते हैं तो हम अपना पैसा अपने ऊपर खर्च करते हैं। दूसरी श्रेणी में उपहार और सीधे किए जानेवाला दानधर्म आता है। इन दोनों श्रेणियों में हम दुकानों–दुकानों पर घूमते हैं और चाहते हैं कि हमारा पैसा कम से कम खर्च हो और ज्यादा से ज़्यादा लाभ पाने के लिए उसका उपयोग हो।

> कोई भी किसी दूसरे के पैसे को उतनी सावधानी से खर्च नहीं करता जितनी सावधानी से अपने पैसे को खर्च करता है

तीसरी श्रेणी तब आती है जब कोई और हम पर खर्च करता है या कोई और हमारा खर्चा उठाता है। इस श्रेणी के बारे में सोचिए। अपने अनुभव से सोचिए, जब लोग कंपनी के खर्चे पर बाहर खाना खाने जाते हैं तो क्या वे खरीदी गई चीजों की कीमतों के प्रति उतने ही सावधान होते हैं जितना कि वे तब होते जब खुद खर्च करते। क्या आपने कभी अपने पर ज्यादा पैसा खर्च किया है जब कोई और आपका बिल दे रहा हो ? आप शायद और लोगों के पैसे उतनी किफायत से खर्च नहीं करते जिस तरह वे अपने पैसे खर्च करते हैं। तब आप कीमतों के बारे में नहीं सोचते (कार्यक्षमता) लेकिन उनके लाभों (प्रभाव) के बारे में ज़रूर सोचते हैं।

ज्यादातर सरकारी खर्च चौथी श्रेणी में आते हैं। वहां कम खर्च करने या अधिकतम लाभ उठाने के लिए कोई कोई प्रेरणा नहीं होती। यही कारण है कि इस श्रेणी में

इतना भ्रष्टाचार और नुकसान होता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री की दलील है कि हमें इस तरह नीतियां बनानी चाहिए ताकि श्रेणीक्रम में ऊपर उठें। चौथी श्रेणी से तीसरी श्रेणी में जाएं। उदाहरण के लिए सरकार दो तरह से छात्रों को शिक्षा प्रदान कर सकती है।

एक – सरकारी स्कूलों के जरिये, और दूसरे – स्कूल वाउचर के जरिये।

सरकारी स्कूल चौथी श्रेणी के उदाहरण हैं – किसी और का पैसा किसी और पर खर्च करने के। इसके बजाय सरकार अभिभावकों को स्कूल वाउचर दे जो उसे अपने पसंद के किसी भी स्कूल में भुगतान करने के लिए इस्तेमाल करें। ये वाउचर मूलरूप से पानेवाले का पैसा नहीं हैं लेकिन जब वह उनके हाथों में दिया जाता है तो वह उनका संसाधन बन जाता है। इसमें लागत को कम से कम रखने की गुंजाइश उनके लिए संभव नहीं हो पाती लेकिन वाउचर से शिक्षा की लागत कवर होती है। हालांकि अभिभावकों को इससे अपने पाल्य के लिए सही स्कूल चुनने के लाभ को अधिकतम भुनाने के लिए प्रोत्साहन जरूर मिलता है। इसी तरह स्कूल को तभी पैसा मिलता है जब तक अभिभावक संतुष्ट रहते हैं। नहीं तो वे किसी और स्कूल में जा सकते हैं। इन स्थितियों में स्कूल अपने संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से करेगा जिससे अभिभावकों की जरूरतें पूरी हो पाएं। उसे अभिभावकों को अन्य स्कूलों की तुलना में प्रतियोगी लाभ दिखाने होंगे। इसप्रकार, वाउचर अभिभावकों और स्कूलों को – यानी शिक्षा नीति को – फ्रीडमैन की खर्च के बारे में बताई गई श्रेणियों के अनुसार चौथी श्रेणी से तीसरी श्रेणी में ले जाते हैं।[12]

अच्छी लोकनीति
10 सिध्दांत

6 एक अच्छी नीति शासन को (कराधान का निर्णय और खर्च जैसे मुद्दं पर) जनता के करीब ले आती है।

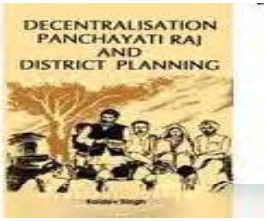

जब सरकारें संसाधनों को संभालती हैं तो आमतौर पर यह सबसे अच्छा होता है कि उनका प्रबंध स्थानीय स्तर पर किया जाए जहां लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखते

हैं और अधिकारियों को जवाबदेह रखने की दृष्टि से प्रभावी होते हैं। यह सिद्धांत सरकार के तीसरे स्तर के कार्य, पदाधिकारी और वित्तीय संसाधनों के विकेंद्रीकरण के लिए किए 73वें और 74वें संविधान संशोधन का आधार है ।

> सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय उसके जो वह किसी से लेती है।

यह सिद्धांत ऊपर बताए गए पहले सिद्धांत का पूरक है जिसमें कहा गया है कि केवल वे कार्य सरकार को दिए जाने चाहिए जिन्हें लोग खुद नहीं कर सकते। सरकार में भी हमें सबसे पहले स्थानीय सरकार को कार्य सौंपना चाहिए। जो काम स्थानीय सरकार नहीं कर सकती वह राज्य सरकार को दिए जाने चाहिए। केंद्र या संघीय सरकार को केवल वही कार्य लेने चाहिएं जिन्हें अन्य दो स्तरों की सरकारें नहीं कर सकतीं। सरकार, जनता की, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की और राज्य सरकार स्थानीय सरकारों की पूरक हैं।

विकेंद्रीकरण प्रातिनिधिक लोकतंत्र से भागीदारी लोकतंत्र की तरफ बढ़ने का प्रभावी तरीका है। बजाय इसके कि निर्वाचित प्रतिनिधि सारे फैसले खुद करें। हम ऐसी गुंजाइश पैदा करें जहां कुछ सबसे महत्वपूर्ण फैसले सीधे लोगों द्वारा किए जाएं। परिपक्व लोकतंत्रों में मतदान अथवा जनमत संग्रह का प्रावधान होता है जहां किन्हीं मुद्दों पर सीधे लोगों द्वारा वोट डाले जाते हैं। कई देशों में इस मुद्दे पर मतदान हुआ कि उनका देश यूरोपीय संघ में शामिल हो या नहीं। हमें भारत में ऐसी भागीदारी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है।

इस सिद्धांत को लागू करने का क्रांतिकारी तरीका है कि लोगों को यह तय करने दिया जाए कि उनके करों को सरकार के विभिन्न कामों और विभागों में किस तरह विभाजित किया जाए। करों का कुछ हिस्सा – करीब आधा हिस्सा – सरकार के विवेक पर छोड़ दिया जाए, जैसा कि अभी किया जाता है। बाकी हिस्से के बारे में करदाता अपना वार्षिक रिटर्न भरते समय चुन सकते हैं कि उसे कहां खर्च किया जाए।

अच्छी लोकनीति

10 सिघ्दांत

7

एक अच्छी लोकनीति सरकार पर भी वही मानक, नियम और दंड लागू करती है जो वह गैर सरकारी प्रदाताओं पर भी लागू करती है।

> सर्वश्रेष्ठ ढंग से काम नहीं करनेवाले मुक्त व्यापार से कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं। लेकिन वे नाम मात्र काम करनेवाली सरकार से भी संतुष्ट हो जाते हैं।

सत्यम के रामलिंगा राजू तुरंत जेल गए। राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाले के लिए कुख्यात सुरेश कलमाडी अब भी बाहर हैं। जब निजी घोटाले का भंडाफोड़ होता है हम अपराधी को सजा देते हैं। लेकिन हम वे मापदंड सरकारी अफसरों पर लागू नहीं करते।

हम अक्सर सुनते हैं कि कोकाकोला के खिलाफ प्रदूषण को लेकर याचिकाएं दायर हुई हैं। लेकिन म्युनिसिपल नल में आनेवाले घटिया दर्जे के पानी को लेकर कितनी कानूनी याचिकाएं दायर हुई हैं? लोक नीति में प्राइवेट के साथ सरकारी सेवा प्रदाताओं के लिए वही नियम और दंड होने चाहिएं। तकनीकी तौर पर उपभोक्ता संरक्षण कानून (1986) सरकारी और निजी दोनों ही तरह के उत्पाद और सेवा प्रदाताओं पर लागू होता है, लेकिन बहुत होशियारी के साथ उन उत्पादों और सेवाओं को शामिल नहीं करता जो निशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे सांविधिक कार्यों को भी नहीं रखा गया है। कई सरकारी कानून स्पष्ट तौर पर खराब सेवा की भी जिम्मेदारी नकारते हैं जैसे कि इंडियन पोस्ट आफिस एक्ट 1878। यह सरकार को किसी डाक के खोने या चुराए जाने की जिम्मेदारी से मुक्त करता है। चूंकि कई सरकारी सेवाएं उपयोग के सिरे पर निशुल्क होती हैं इसलिए उपभोक्ता के पास कानून के तहत शिकायत का कोई कानूनी आधार नहीं होता। क्या यह दोहरा मापदंड सरकारी

सेवाओं के निजीकरण और उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए अच्छा तर्क है?

हाल ही में बने मध्यप्रदेश लोकसेवा गारंटी एक्ट 2010 के तहत सेवाओं का न्यूनतम स्तर उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है जो इस दिशा में पहल है। उसमें सरकारी कर्मचारियों पर सेवा में लापरवाही बरतने पर स्पष्ट दंड का प्रावधान है। बिहार और दिल्ली ने उसका अनुकरण किया है। कई अन्य राज्य भी इसी तरह का कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रानिक सर्विस डिलीवरी बिल का प्रस्ताव रखा है जिसमें इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध कराई गई सभी सेवाओं की गुणवत्ता की गारंटी होगी। उसमें वादा किया गया है कि अगले दस वर्षों में गैर इलेक्ट्रानिक तरीके से मुहैया कराई जानेवाली सेवाओं को भी इस बिल में शामिल कर लिया जाएगा।

CENTRE FOR CIVIL SOCIETY

अच्छी लोकनीति
10 सिध्दांत

8 **अच्छी नीति कई लोगों के हितों के लिए एक व्यक्ति के अधिकारों की बलि नहीं चढ़ाती।**

> दुनिया में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है –व्यक्ति। जो व्यक्ति के अधिकारों को नकारते हैं वे अलपसंख्यकों के रक्षक होने का दावा नहीं कर सकते

यह दुनिया का सबसे विवादास्पद सिद्धांत है। उदाहरणार्थ कई लोग यह दलील देते हैं कि सरकार को किसानों की जमीन को कारखानों और एसईजेड को पुनर्वितरित कर देनी चाहिए। वे कहते है कि राष्ट्रीय विकास के लिए किसानों के हितों की बलि दी जानी चाहिए। आप जबरन जमीन लिए बगैर बांध या राजमार्ग (हाईवे) कैसे बना सकते हैं? कुछ लोग बेचने के लिए तैयार

नहीं होंगे। कुछ लोग तब तक नहीं मानेंगे जबतक उनकी बेतहाशा कीमतों की मांग पूरी नहीं हो जाती क्योंकि उन्हें पता है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जमीन की आवश्यकता है।

पहला, हां, कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी कीमत पर अपनी जमीन बेचना नहीं चाहेंगे, लेकिन कई और क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां मालिक डेवलपर्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हों। विकास ऐसी जगह क्यों नहीं होता जहां लोग अपनी जमीन बेचने को तैयार हों? इसके अलावा जिन्हें बलपूर्वक लागू करना होता है। विशाल प्रोजेक्टों के बजाय छोटे स्तर के प्रोजेक्टों के जरिये विकास क्यों नहीं होता? जो लोग संपत्ति के अधिकार के खिलाफ दलील देते हैं कि उद्देश्य तो विकास है, लेकिन किसका विकास? यदि व्यक्ति की बलि चढाई जाती है तो राष्ट्रीय विकास का क्या अर्थ है?

अगला, कोई अपनी तरफ से डटा रहता है और अपनी जमीन नहीं बेचता है तो इस समस्या से निपटने के भी प्रभावी तरीके हैं। उसका एक उदाहरण है – कंटींजेंट कॉंट्रैक्ट। कोई डेवलपर कोई प्रोजेक्ट लेता है जिसके लिए बहुत सारी जमीन की ज़रूरत होती है। वह हर इच्छुक पार्टी से यह कॉंट्रैक्ट साइन करवा सकता है। इस व्यवस्था में किसी बेचनेवाले को विशेषाधिकार नहीं होंगे। यह केवल एक उदाहरण है। उल्लेखनीय बात यह है कि जब लोग व्यक्तिगत अधिकारों के दायरे में काम करते हैं तो वे आपसी हितों के अवसरों का लाभ लेने के लिए रचनात्मक तरीके ढूंढ़ निकालते हैं।

इस बात पर गौर करना रोचक होगा कि उद्योगों, बैंकों और बीमा के राष्ट्रीयीकरण के समय संपत्ति के मौलिक अधिकार को कमजोर करने की यह कहकर प्रशंसा की जा रही थी कि यह अमीरों की कीमत पर गरीबों को मदद करने का एक तरीका है।

लेकिन अब गरीब तब अपने को असहाय महसूस करते हैं जब सरकार कुछ अमीरों के कहने पर उनकी जमीन ले लेती है। जब व्यक्ति के अधिकार के सिद्धांत का दुरूपयोग किया जाता है जैसा कि इस मामले में संपत्ति के अधिकार का दुरूपयोग किया गया तो हर व्यक्ति शक्तिशाली लोगों का संभावित शिकार बनता है। आज वे शिकार बने हैं कल हम बन सकते हैं।

बुनियादी तौर पर इस सिद्धांत के मायने ये हैं कि, किसी को भी – भले ही वह गरीब किसान ही क्यों न हो – सरकार या प्राइवेट डेवलपरों द्वारा अधिग्रहण को –नहीं– कहने का अधिकार है। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि समाज आम राय और स्वयंस्फूर्त अनुबंधों पर आधारित है, न कि बल प्रयोग पर।

अच्छी लोकनीति

10 सिध्दांत

9 एक अच्छी नीति इस आधार पर बनी होती है कि लोग जिम्मेदार हैं, धैर्यवान और स्वशासित हैं बशर्ते उन्हें सही तरह के प्रोत्साहन और नियमों का ढांचा दिया जाए।

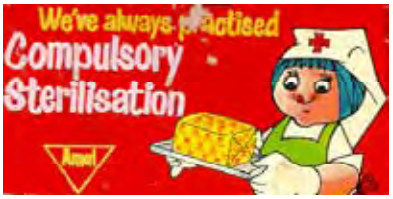

नीति बनाते समय हम अक्सर इस दंभ के शिकार हो जाते हैं कि हम और लोगों के लिए व्याहवारिक और नैतिक फैसले करने के मामले में बेहतर स्थिति में हैं। हम जो ज्यादा शिक्षित और ज्ञानवान हैं, चाहते हैं कि फैसला करें कि, किसे शराब हासिल होनी चाहिए और कब लोग किस तरह से अपने पैसे खर्च करें। किस परिवार में कितने बच्चे हों आदि आदि।

> जैसे हम राजनीतिक बाजार (चुनाव) में उनके द्वारा वोट डाले जाने पर विश्वास करते हैं उसी तरह उपभोक्ता द्वारा प्राइवेट बाजार में पैसे रूपी वोट डाले जाने पर भी विश्वास करें ।

लोकतंत्र इस सिद्धांत पर आधारित है कि मतदाता इतने जिम्मेदार होते हैं कि अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें। हमें लोगों के फैसले करने के अधिकार का सम्मान करते हैं। हमें उनके आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए।

लोगों को जीवन की चुनौतियां का सामना करने में परिवार, मित्र, बाजार और सिविल सोसायटी की एक भूमिका होती है। आखिरकार हर व्यक्ति की मानवीयता का सम्मान करने का अर्थ होता है हरेक अपने जीवन के बारे में चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है और उसे उसके द्वारा किए गए चुनावों की जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

10

अच्छी नीति की हमेशा एक एक्सपायरी डेट (सनसेट क्लॉज) होनी चाहिए।

एक बार नीति बन जाती है तो उसे बदलना मुश्किल होता है। उसकी एक्सपायरी डेट होने पर उस नीति का तब खत्म होना आसान हो जाता है जब उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। बेशक हम चाहते हैं कि कुछ कानून हमेशा बने रहें जैसे की हत्या और चोरी के खिलाफ बनें कानून। लेकिन ज्यादातर कानूनों और कार्यक्रमों की एक एक्सपायरी तारीख होनी चाहिए।

> अस्थायी सरकारी कार्यक्रम जैसा स्थायी कुछ नहीं होता है।

एक्सपायरी तारीख होने का यह मतलब कतई नहीं है कि एक तारीख के बाद वह नीति खत्म हो जाए वरन पूर्व निर्धारित तिथि के बाद नीति की पुनःसमीक्षा और पुनःअनुमोदन किया जाए। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में स्कूल, कालेज और नौकरियों में जाति आधारित आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन उसमें 10वर्ष की एक्सपायरी डेट भी शामिल की गई है। इस नीति को जारी रखने के लिए संसद को हर दस वर्ष बाद उसे पुनर्समीक्षा और पुनर्मतदान से पारित कराना होता है। अधिकारियों को लगता है कि कई कानून और नीतियां कालबाह्य और अप्रासंगिक हो गई हैं। इसलिए लागू नहीं की जातीं। लेकिन किसी को इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? चिंता करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ अफसर किसी समय अपनी मर्जी से उन्हें लागू करने का फैसला कर सकते हैं। इस तरह यह कानून पदों पर बैठे लोगों के लिए संभावित हथियार बन जाता है जिसका इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ कर सकते है जिन्हें वे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या नियंत्रित करना चाहते हैं। कुछ लोग इससे बच जाएंगे और कुछ लोगों को सजा होगी। यह सबकुछ अफसर की मनमर्जी पर निर्भर करेगा। यह कानून के शासन के खिलाफ है।

उदाहरणार्थ पुलिस अक्सर समलैंगिकता विरोधी कानून (भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377) इस्तेमाल चुनचुन कर समलैंगिकों को परेशान करने या उनसे उगाही करने के लिए करती है।

अभ्यास2– अब आपके लिए यह तय करने का समय है। 10 में से हर एक सिद्धांत के बारे में सोचिए।

- पहला, इनमें से किसके साथ आप सहमत हैं और किसके साथ सहमत नहीं हैं और क्यों ?
- दूसरा, कि इन सिद्धांतों को फिर से लिखने की कोशिश कीजिए, इनमें कुछ जोड़िए या कुछ घटाइए ताकि आप खुद अच्छी लोकनीति के सिद्धांतों का अपना समूह तैयार कर सकें।

Activity 2 Notes

आखिरी नोट्स

[1] वर्ष 2011 में पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने एक आदेश जारी करके इसमें सुधार किया। हम अब भी इंतजार कर रहे हैं कि राज्य इस आदेश की पुष्टि करें।

[2] सरकार की नीति पर कुछ समूहों का दूसरे समूह की तुलना में ज्यादा प्रभाव क्यों होता है? इस पर गहन विचार के लिए देखें – मैंकुर औसलन की लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन

[3] देखें प्रूस येंडले का बूट्लेगर्स एंड बैपटिस्ट : http://www.cato.org/pubs/regulation/regv7n3/v7n3-3.pdf and *Bootleggers and Baptists in Retrospect*: http://www.cato.org/pubs/regulation/regv22n3/bootleggers.pdf

[4] यह अंक सीसीएस द्वारा 2001 में किए शोध पर आधारित है।

[5] विशेष आर्थिक क्षेत्र

[6] एमकेएसएस का पूरा नाम मजदूर किसान शक्ति संगठन

[7] अगर हम इस सादृश्यता को शाब्दिक रूप में लें तो मछली पकड़ना लोकनीति के महत्व का प्रमुख उदाहरण है। लोग हर जगह गैर टिकाऊ स्तर पर मछली पकड़ने का काम करते हैं। हालांकि ज़्यादातर मछुआरे जानते हैं कि उनकी सामूहिक कार्रवाई से मछली उद्योग ठप्प पड़ जाएगा। अर्थशास्त्री अच्छी तरह समझते हैं कि ज़्यादा मछली पकड़ना (अन्य पर्यावरण समस्याओं के साथ) सामूहिकता की त्रासदी का नतीजा है। सामूहिकता की त्रासदी तब जन्म लेती है जब किसी के पास संपत्ति का अधिकार नहीं होता। यानी, दूसरों को संसाधनों की खपत से बेदखल करने का अधिकार होता है। अपनी खपत को कम करके संसाधनों के संरक्षण की किसी एक व्यक्ति की कोशिश व्यर्थ होती है क्योंकि, सामूहिक में जो पीछे छोड़ा गया है उसे दूसरे लोग ले लेंगे। इस मामले में मछुआरे कम मछलियां पकड़ते हैं या छोटी मछलियों को वापस फेंक देते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगला मछुआरा भी वही करेगा। इस तरह सभी मछुआरे अपनी पकड़ रख लें तो मछलियां कम हो जाएंगी।
मत्स्योद्योग के लिए अच्छी नीति यह होगी कि व्यक्ति या छोटे समुदाय के संपत्ति के स्पष्ट अधिकार हों। जिनके पास संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन और शक्ति हो। इस बारे में दो उत्तम प्रकाशन हैं –माइकल डी एलेस्सी की फिशिंग फॉर सोल्युशन्स।
http://www.iea.org.uk/publications/research/fishing-for-solutions और हेन्स एच जिसरारसन की ओवरफिशिंग रूद आइसलैंडिंग सोल्युशन – http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/upldbook16pdf.pdf

[8] भाषण का यह हिस्सा लारेंस डब्लू रीड के सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड पब्लिक पॉलिसी से प्रेरित है। यह लेख आपको यहां मिल सकता है: http://www.mackinac.org/archives/2010/7Principles2009FINALweb.pdf

[9] उदारवाद के बारे में समग्र वक्तव्य के लिए देखें–लुडविग वान मिजेज की लिबरलिज्म http://mises.org/books/liberalism.pdf

[10] इस विचार के समग्र दार्शनिक का विवेचन मिल सकता है डान स्टुअर्ट मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी में http://files.libertyfund.org/files/347/Mill_0159_EBk_v6.0.pdf

[11] इस सिद्धांत के विस्तृत विवेचन के लिए अच्छा स्रोत है हेनरी हैजलिट की पुस्तक इकनॉमिक्स इन वन लेसन। यह पुस्तक पाठकों को अर्शशास्त्रियों की तरह सोचना और इन सिद्धांतों को विभिन्न सामूहिक मुद्दों पर लागू करने के लिए प्रशिक्षित करती है।

[12] फ्रीडमैन के खर्च के नियम और वाउचर पर चर्चा के लिए देखे मिल्टन फ्रीडमैन और रोज फ्रीडमैन की फ्री टू चूज ए पर्सनल स्टैटमेंट और मिल्टन फ्रीडमैन की कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम

फ्रेडरिक- नौमैन- स्टिफटुंग -फर- डी फ्रेहाइट

फ्रेडरिक- नौमैन- स्टिफटुंग -फर- डी फ्रेहाइट उदारवादी राजनीति के लिए फाउंडेशन है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद पहले जर्मन राष्ट्रपति बने थियोडोर हिस और अन्य लोगों ने मिलकर 1958 में इसकी स्थापना की। यह फाउंडेशन दुनियाभर के साठ देशों में लिबर्टी के विचारों को प्रोत्साहित करने और स्वतंत्रता के लिए रणनीति बनाने के लिए काम करता है। नागरिक शिक्षा,राजनीतिक सलाह और राजनीतिक संवाद हमारे साधन हैं।

फ्रेडरिक- नौमैन- स्टिफटुंग -फर- डी फ्रेहाइट अपनी विशेषज्ञता को स्वतंत्रता,लोकतंत्र,बाजार अर्थव्यवस्था और कानून के शासन को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए उपलब्ध कराता है। विश्वभर में अपनी तरह के अकेले उदारवादी संगठन होने के नाते फाउंडेशन स्वतंत्रता के भविष्य के लिए जमीन बनाने की भूमिका निभाता है। यह भावी पीढ़ियों के प्रति उसकी जिम्मेदारी है।

दक्षिण एशिया में सहिष्णुता की सशक्त परंपरा और एक बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग है जो अपने को प्रतिपादित कर रहा है और उदारवादी अर्थव्यवस्था को विकसित कर रहा है।

इस माहौल में फाउंडेशन कई भागीदार संगठनों के साथ लोकतंत्र की संरचना,कानून के शासन के लिए काम कर रहा है। एफएनएफ के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखें - www.southasia.fnst.org

सेंटर फार सिविल सोसायटी

सेंटर फार सिविल सोसायटी एक स्वतंत्र, गैर मुनाफेवाला,शोध और शैक्षणिक संगठन है जो सिविल सोसायटी को पुनर्जागृत और पुनर्शक्तिशाली बनाकर भारत के सभी नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने1947 में अंग्रेजों से अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की।लेकिन हमें अभी भी भारतीय राज्य से पूर्ण सामाजिक,सांस्कृतिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली है। हमारा उद्देश्य राज्य के दायरे को सीमित करना और सिविल सोसायटी के लिए ज्यादा जगह बनाना है।

हम एक विचार संगठन या थिंक टैंक है, जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए विचारों को विकसित करते हैं। हम सीमित सरकार, कानून के शासन,मुक्त व्यापार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिमायती हैं। हम एक बौद्धिक क्रांति लाना चाहते हैं जो लोगों को दृश्य से आगे, अच्छे इरादों से परे और सीधी कार्रवाई से आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं। हम सभी लोगों की वैयक्तिकताए उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार और खुशी पाने के मकसद में विश्वास करते हैं। हम उनके फैसलों पर विश्वास करते हैं जब वे मतदाता पेटी में वोट डालते हैं और जब वे बाजार में अपना पैसा खर्च करते हैं। हम मुक्त समाज के सपने से अभिभूत हैं जहां राजनीतिक ,आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता हो। हम दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही है।

सीसीएस की गतिविधियों में कानून ,स्वतंत्रता और जीविका,समुदाय,बाजार और पर्यावरण, सुशासन,सभी को शिक्षा के क्षेत्र में शोध,प्रचार और एडवोकेसी शामिल हैं।

सीसीएस के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए देखें – www.ccs.in

फ्रेडरिक-नौमैन-
स्ढिफ्ढुंग –फर– डी फ्रेहाइढ

सेंटर फॉर सिविल सोसायटी
ए – 69 हौज खास, नई दिल्ली – 110016
फोन – 26537456, 26521882 फैक्स – 26512347
ईमेल : ccs@ccs.in, Web :ccs.in